

नहीं से शुद्धता की पड़ताल वे
लिए और और खाद्य तेल के नमू
निल किए गए। एकत्रित किए ग
एक सप्ताह सभी सैपलों को विस्तृत जा
के लिए राज्य खाद्य परीक्षण
योग्यगशाला, भोपाल भेजा गया है।
अधिकारियों का साफ कहना है
के लंबे से जांच परीक्षणों अंतर्
खाद्य सुरक्षा एवं मानव
अधिकारों के तहत दोषियों प
सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवा
की जाएगी।
मिलालादखोरों को चेतावनी दी
के आम जनता के स्वास्थ्य र
खलवावट किसी भी कीमत प
वर्दाशत नहीं किया जाएगा।